रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1282] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2008/भाद्र 21, 1930
No. 1282] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2008/BHADRA 21, 1930

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2008

का.आ. 2192(अ).—लोक सभा अध्यक्ष का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन दिनांक 10 सितम्बर, 2008 का निम्नलिखित विनिश्चय एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

"श्री अवतार सिंह भड़ाना, पुत्र स्वर्गीय श्री नाहर सिंह, निवासी मकान सं. 114, सैक्टर-16ए, जिला फरीदाबाद, फरीदाबाद (हरियाणा) और वर्तमान में हरियाणा राज्य के फरीदाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य (लोक सभा)

—याची

बनाम

श्री कुलदीप सिंह उर्फ कुलदीप बिश्नोई, हरियाणा राज्य के भिवानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य (लोक सभा) निवासी 135, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली।

—प्रत्यर्थी

के मामले में:

आदेश

1. यह श्री अवतार सिंह भड़ाना माननीय सदस्य, लोक सभा द्वारा दूसरे माननीय सदस्य, लोक सभा श्री कुलदीप सिंह के विरुद्ध दायर याचिका है जिसमें प्रत्यर्थी श्री कुलदीप सिंह को स्वेच्छा से अपने मूल राजनैतिक दल, अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता छोड़ने के कारण 2 दिसम्बर, 2007 से हरियाणा राज्य के भिवानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा का सदस्य बने रहने के अयोग्य घोषित करने हेतु प्रार्थना की गई है।

2. याची श्री अवतार सिंह भड़ाना, लोक सभा के सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता दी गई है, से लोक सभा के सदस्य हैं। यह याचिका लोक सभा कार्यालय में 25 जनवरी, 2008 को दायर की गई थी। दिनांक 31 जनवरी, 2008 को, लोक सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायी दल के नेता श्री प्रणव मुखर्जी को लोक सभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर निरर्हताएं) नियम, 1885 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् नियम कहा गया है) के नियम 7(3)ख के अधीन एक याचिका भेजी गई थी। याचिका की एक प्रति उक्त तिथि को उक्त नियमों के नियम 7(3) के अधीन प्रत्यर्थी को भी भेजी गई।

3. दिनांक 5 फरवरी, 2008 को लोकसभा में श्री प्रणव मुखर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता ने इस संबंध में प्रस्तुत उत्तर में कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है याचिका में दिये गये सभी मामले सत्य हैं तथा यह कि "मैं उक्त याचिका के निष्कर्षों……प्रत्यर्थी को निरर्ह करने की सिफारिश से पूर्णतया सहमत हूँ।"

4. दिनांक 6 फरवरी, 2008 को प्रत्यर्थी ने याचिका के संबंध में अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाने का अनुरोध किया। उसे 7 मार्च, 2008 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया। उसने उक्त तिथि को एक पत्र के रूप में अपना उत्तर प्रस्तुत किया।

5. मामले के सभी तथ्यों और स्थितियों से पूरी तरह संतुष्ट होने पर ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन था, अतः, मैंने श्री अवतार सिंह भड़ाना द्वारा दी गई याचिका को लोक सभा की विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया ताकि उक्त नियमों के नियम 7(4) के अधीन आरंभिक जांच की जा सके। लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने 20 अगस्त, 2008 को अपना प्रतिवेदन अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें समिति ने बताया कि "प्रत्यर्थी ने अपने उत्तर में कहीं पर भी याची द्वारा अपनी याचिका में लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं किया है कि उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी (बी एल) एक नई राजनैतिक पार्टी का गठन किया है जिसके वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तथा जिसका भारतीय निर्वाचन आयोग में पंजीकरण भी करवाया गया है।"

6. तदुपरांत मेरे द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 2008 को याचिका की सुनवाई की गई जिसके लिए सभी पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए सम्यक् सूचना दी गई थी ।

7. लोक सभा सचिवालय के अभिलेखों से यह पता चलता है कि मेरे द्वारा 2 सितम्बर, 2008 को की गई व्यक्तिगत सुनवाई संबंधी सम्यक् सूचना प्रत्यर्थी को दी गई थी परंतु इसके बावजूद उन्होंने उपस्थित होना उचित नहीं समझा ।

8. याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थी वर्ष 2004 में हुए चुनावों में 14वीं लोक सभा के लिए हरियाणा राज्य के भिवानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरक्षित चिह्न/टिकट पर चुना गया था ।

9. याची के मुख्य तर्क ये हैं कि:

(क) यह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर सदन का सदस्य चुने जाने के पश्चात् प्रत्यर्थी प्रायः हरियाणा की कांग्रेस सरकार तथा अखिल भारतीय कांग्रेस की भारत सरकार के विरोध में बोलते थे तथा उनकी कड़ी आलोचना करते थे । यहां तक कि प्रत्यर्थी तथा अन्य ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष की भी कटु आलोचना करते रहे ।

(ख) यह कि जनता के समक्ष अपनी भाव-भंगिमाओं, बैठकों तथा पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से प्रत्यर्थी का कार्य तथा आचरण ऐसा था जिससे वे मूल राजनैतिक पार्टी अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके आरक्षित चिह्न/टिकट पर प्रत्यर्थी लोक सभा में निर्वाचित हुए थे, के विरोध में लगते थे ।

(ग) यह कि प्रत्यर्थी तथा याचिका में नामित अन्य व्यक्तियों के कहने पर "हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल)" नाम की नई राजनीतिक पार्टी के पंजीकरण हेतु दिनांक 01 जून, 2007 को भारतीय निर्वाचन आयोग में आवेदन दाखिल किया गया था और 08 नवम्बर, 2007 को उक्त नाम की नई राजनीतिक पार्टी का भारतीय निर्वाचन आयोग के पास पंजीकरण किया गया ।

(घ) यह कि प्रत्यर्थी तथा याचिका में नामित अन्य व्यक्तियों द्वारा निजी लाभ के लिए स्वयं को अपनी मूल पार्टी से अलग करके नई राजतीतिक पार्टी का गठन करना यह "निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त" है कि प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से अपनी मूल राजतीतिक पार्टी, जिसके आरक्षित चिह्न/टिकट (हाथ) पर वह हरियाणा से चौदहवीं लोक सभा का सदस्य निर्वाचित हुए थे की सदस्यता छोड़ दी है ।

(ङ) यह कि याचिका में दिनांक 2 दिसम्बर, 2007 को रोहतक में एक 'जनहित रैली' के आयोजन का भी उल्लेख किया गया है जिसमें अन्य के साथ-साथ प्रत्यर्थी ने भी भाग लिया था तथा प्रत्यर्थी द्वारा अपने मूल राजनीतिक दल अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निरंतर अवज्ञा की जाती रही है ।

(च) यह कि प्रत्यर्थी ने नवगठित राजनीतिक दल के अध्यक्ष की हैसियत से दिनांक 2 दिसम्बर, 2007 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) के मैदान पर एक बड़ी सभा को सम्बोधित किया जिसे प्रेस ने बड़े पैमाने पर कवर किया था ।

(छ) यह कि दिनांक 2 दिसम्बर, 2007 को प्रत्यर्थी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें नये राजनीतिक दल अर्थात् हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) के गठन का विशेष उल्लेख किया गया था । यह प्रेस विज्ञप्ति श्री कुलदीप सिंह, संसद सदस्य (प्रत्यर्थी) के लेटर हैड पर लिखी गई थी तथा उस पर उन्होंने विधिवत् हस्ताक्षर किए थे । प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति याचिका के साथ संलग्न है ।

(ज) यह कि प्रत्यर्थी की अध्यक्षता में हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात की तथा प्रत्यर्थी के अधिकृत लेटर हैड पर लिखित एक ज्ञापन उन्हें सौंपा जिसमें हरियाणा में कांग्रेस सरकार की बर्खास्तगी की मांग की गयी थी ।

10. याचिका में दिए गए प्रकथनों के आधार पर याची ने एक घोषणा के लिए प्रार्थना की है कि प्रत्यर्थी भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत संसद सदस्य, लोक सभा को रूप में निरर्ह हो गया है ।

11. लोक सभा के अध्यक्ष को संबोधित दिनांक 7 मार्च, 2008 के एक पत्र द्वारा प्रत्यर्थी ने याची द्वारा निरर्हता हेतु दायर की गयी याचिका की पावती को स्वीकार किया है । पत्र में उन्होंने कुछ राजनैतिक मुद्दों का उल्लेख किया है, जिन्हें वह उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने याचिका में दिए गए प्रकथनों अथवा अनुलग्नकों की विषय-वस्तु के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है । दूसरी ओर, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि "वर्तमान निरर्हता याचिका दायर कर इन लोगों ने सोचा था कि मैं झुक जाऊंगा और गरीबों के लिए अपना संघर्ष छोड़ दूंगा । ऐसा नहीं होगा"।

12. प्रत्यर्थी ने अपने पत्र में आगे निम्नवत् लिखा है:

"मतभेद लोकतंत्र का अभिन्न अंग है । मतभेद को दबाना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है । लेकिन कांग्रेस की संस्कृति चापलूसी तथा "मैडम" के समक्ष दंडवत करने की संस्कृति है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके साथ बहिष्कृत व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता है, भले ही वह व्यापक जनहित के मुद्दों को ही क्यों न उठा रहा हो । मेरे विरोधी यह महसूस नहीं कर पा रहे कि कांग्रेस पार्टी पूर्व में एक संस्था थी, न कि कोई व्यक्ति..... अगर गरीबों के अधिकारों को बनाए रखना, दबे-कुचले लोगों के लिए बोलना, आम आदमी तथा किसानों की रक्षा करना एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करना अपराध है, तो मैं इसके लिए दोषी हूं । मैं धनी वर्ग तथा शक्तिशाली वर्ग के विरुद्ध अपने संघर्ष को जारी रखूंगा तथा दबे-कुचले लोगों के लिए संघर्ष करता रहूंगा । चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े ।"

13. चूंकि व्यक्तिगत सुनवाई के समुचित नोटिस की प्राप्ति के बावजूद प्रत्यर्थी ने उपस्थित होना उचित नहीं समझा, जहां तक प्रत्यर्थी का सवाल था मैंने एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय

लिया । व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान याची अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित था ।

14. 2 सितम्बर, 2008 को हुई सुनवाई के दौरान याची ने याचिका में किए गए अपने निवेदन को दुहराया तथा उसके अधिवक्ता ने मेरा ध्यान इससे जुड़े कई अनुलग्नकों की ओर आकृष्ट किया तथा यह दावा किया कि इस याचिका में कही गयी सारी बातें तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित सामग्री सहित याचिका के अनुलग्नक में दिए गए तथ्यपरक विवरणों का प्रतिवाद नहीं किया गया है इसलिए इन्हें ग्राह्य माना जाना चाहिए ।

15. याचिका में दिए गए मामले तथा याची द्वारा प्रस्तुत सामग्री के साथ-साथ प्रत्यर्थी के 7 मार्च, 2008 के पत्र पर समुचित विचार करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता का त्याग कर दिया जिसका कि वह 14वीं लोक सभा के निर्वाचन के समय सदस्य था ।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में यह व्यवस्था दी गयी है कि संविधान की 10वीं अनुसूची का उद्देश्य दल परिवर्तन को हतोत्साहित करना है तथा 10वीं अनुसूची में दिए गए उपबंध राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भूमिका को मान्यता प्रदान करते हैं । जैसे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किहोटो होलोहोने बनाम जाचिल्हू और अन्य (एआईआर 1993 एससी 412) मामले में टिप्पणी की गयी है कि "यदि कोई राजनीतिक दल एक विशेष कार्यक्रम लेकर निर्वाचकों के पास जाता है तथा ऐसे कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचन में अपना उम्मीदवार उतारता है और उस राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार यदि निर्वाचित हो जाता है तो वह उस राजनीतिक दल के कार्यक्रम के आधार पर ही निर्वाचित होता है । पैरा 2(1)(क) के उपबंध इस पूर्वकथित तथ्य पर आधारित हैं कि राजनैतिक मर्यादा और नैतिकता की यह मांग है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति, निर्वाचन के बाद उस दल जिसने उसे निर्वाचन में उम्मीदवार बनाया था, से अपनी सम्बद्धता बदलता है और उस राजनैतिक दल को छोड़ देता है, तो उसे विधानमंडल की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए और पुनः मतदाताओं के समक्ष जाना चाहिए ।"

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी रवि एस. नाईक बनाम भारत संघ (ए आई आर 1994 एस सी 1558) के मामले में यह निर्णय दिया है कि 'स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ना' शब्द 'त्यागपत्र' का पर्यायवाची नहीं है और इसका व्यापक अर्थ है । कोई व्यक्ति किसी राजनैतिक दल की सदस्यता से अपना त्यागपत्र न देकर भी स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ सकता है । सदस्यता से औपचारिक त्यागपत्र न देने की स्थिति में भी किसी सदस्य के आचारण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि "उसने उस राजनैतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ दिया है जिससे वह संबद्ध है।" जी. विश्वनाथ बनाम अध्यक्ष, तमिलनाडु विधान सभा 1996(2) एससीसी 353 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि "राजनैतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ देने संबंधी तथ्य को या तो अभिव्यक्त अथवा विवक्षित किया जाए ।"

18. मेरी राय में, वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी ने कोई उत्तर नहीं दिया है और उपलब्ध सामग्री तथा उपर्युक्त कारणों के आधार पर मुझे यह निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं है कि वस्तुतः प्रत्यर्थी 2 दिसम्बर, 2007 को अन्य बातों के साथ-साथ हुई घटनाओं, जैसा कि याचिका में उल्लिखित है, के कारण दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अन्तर्गत निरर्ह हो गया है। मामले पर गौर करने के बाद मैंने यह निर्णय लिया है कि श्री कुलदीप सिंह जो हरियाणा के भिवानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य हैं, 2 दिसम्बर, 2007 को हुई घटनाओं के कारण दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के अन्तर्गत निरर्ह हो गए हैं । मैंने मामले पर तदनुसार निर्णय लिया ।

19. इस प्रकार, प्रत्यर्थी 14वीं लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह हो गया है और यह घोषित किया जाता है कि उसका स्थान रिक्त हो गया है ।"

नई दिल्ली 10-9-2008

सोमनाथ चटर्जी
अध्यक्ष लोकसभा"

[सं. 46/13/2008/टी.]

पी. डी. टी. आचारी, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2008

S.O. 2192(E).—The following Decision dated 10th September, 2008 of the Speaker, Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :—

"In the matter of :

Shri Avtar Singh Bhadana, S/o Late Shri Nabar Singh R/o House No. 114, Sector 16A, Faridabad District, Faridabad (Haryana) and presently Member of Parliament (Lok Sabha) from Faridabad Parliamentary Constituency of the State of Haryana.

—Petitioner

Versus

Shri Kuldeep Singh @ Kuldeep Bishnoi, Member of Parliament (Lok Sabha) from Bhiwani Parliamentary Constituency of the State of Haryana, resident of 135, Golf Links, New Delhi.

—Respondent

Order :

1. This is an application filed by Shri Avtar Singh Bhadana, Hon'ble Member of Lok Sabha against Shri Kuldeep Singh, another Hon'ble Member of Lok Sabha praying for a declaration that the respondent Shri Kuldeep Singh be disqualified "to continue as a Member of the Lok Sabha from Bhiwani Parliamentary Constituency of the State of Haryana with effect from 2nd December, 2007 on account of his having voluntarily given up the membership of his original political party i.e. Indian National Congress."

2. The Petitioner, Shri Avtar Singh Bhadana, is a Member of the Lok Sabha, owing allegiance to the Indian National Congress, which is a national political party,

as recognized by the Election Commission of India. The petition was filed in the office of Lok Sabha on 25th January, 2008. On 31st January, 2008 a copy of the petition was forwarded to Shri Pranab Mukherjee, Leader of Indian National Congress Legislature Party in Lok Sabha under Rule 7(3)(b) of the Members of Lok Sabha (Disqualification on ground of Defection) Rules, 1885 (hereinafter referred to as the Rules). A copy of the petition was also served on the respondent under Rule 7(3) of the said Rules on the said date.

3. On 5 February, 2008 Shri Pranab Mukherjee as the Leader of the Indian National Congress in Lok Sabha submitted a reply stating that the matters contained in the petition were true to the best of his knowledge and information and "that I concur with and endorse the conclusions of the said petition, recommending the disqualification of the respondent."

4. On 6 February, 2008, the respondent requested for extension of time to furnish his answer to the petition and he was given extension to submit the same within 7 March, 2008, on which date he submitted his reply in the form of a letter.

5. On being satisfied, on the facts and circumstances of the case, that it was necessary and expedient so to do, I referred the petition filed by Shri Avtar Singh Bhadana to the Committee of Privileges of Lok Sabha for making a preliminary enquiry as provided in Rule 7(4) of the said Rules. The Committee of Privileges, Lok Sabha on 20 August, 2008 submitted its report to the Speaker, in which the Committee has given its finding "that the respondent nowhere in his comments has countered the allegations made by the petitioner in his petition that he has formed a new political party, namely, Haryana Janhit Congress (BL) of which he is a National President and which has also been registered with the Election Commission of India".

6. Thereafter the petition has been heard by me on 2 September, 2008 for which due notice was given to the parties for a personal hearing.

7. From the records of the Lok Sabha Secretariat, it appears that due notice of the personal hearing held by me on 2 September, 2008 was given to the respondent, but he did not choose to appear in spite of due notice.

8. It has been contended in the petition that the respondent was elected to the 14th Lok Sabha in the elections held in the year 2004 on the reserved symbol/ ticket of Indian National Congress from Bhiwani Parliamentary Constituency of the State of Haryana.

9. The main contentions of the petitioner are:

(a) the respondent after his election as a Member of the House belonging to the Indian National Congress often dissented and bitterly criticized the Congress Government in Haryana and the Government of India run by All India Congress. The respondent and others went to the extent of bitterly criticizing the President of All India Congress Committee.

(b) The respondent's acts and conduct through public postures, meetings and press conferences were of such a nature that set him at variance from the programmes and policies of the original political party i.e. Indian National Congress, on whose the reserved symbol/ticket the respondent was elected to Lok Sabha.

(c) That at the instance of the respondent and others named in the petition "an application dated 1 June, 2007 was made with the Election Commission of India for registration of a new political party under the name and Style of "Haryana Janhit Congress (BL)" and a new political party with the said name was registered with the Election Commission of India on 8 November, 2007.

(d) That the respondent and others named in the petition have proceeded to form a new political party by separating themselves from their parent political party to have personal gain, which is "sufficient to conclude" that the respondent has voluntarily ceased to be a member of his original political party on whose reserved symbol/ticket (HAND), he was elected to the 14th Lok Sabha from State of Haryana.

(e) The petition also refers to the holding of a 'Janhit rally' on 2 December, 2007 at Rohtak, which was attended by the respondent, among others, and that there has been continued defiance the respondent of his parent political party i.e. Indian National Congress.

(f) That the respondent addressed a large gathering as President of the newly constituted political party at HUDA grounds on 2 December, 2007, which was widely covered by the press.

(g) That on 2 December, 2007 the respondent issued a press release highlighting the factum of formation of the new political party i.e. Haryana Janhit Congress (BL). The press release is on the letterhead of and is duly signed by Shri Kuldeep Singh, MP (Respondent). A copy of the press release has been annexed to the petition.

(h) That a delegation of Haryana Janhit Congress (BL) led by the respondent as President met the Governor of Haryana and submitted a Memorandum on the official letterhead of the respondent in which a demand was made for the dismissal of the Congress Government in Haryana.

10. On the basis of the averments made in the petition, the petitioner has prayed for a declaration that the respondent has incurred disqualification as Member of Parliament, Lok Sabha under the Tenth Schedule of the Constitution of India.

11. By a letter dated 7 March, 2008 addressed to the Speaker, Lok Sabha, the respondent admitted the receipt of the petition for disqualification filed by the petitioner. In the letter he has referred to some political issues, which he had been raising but has not dealt at all with the averments made in the petition or with regards to the contents of the annexures. On the other hand, he has stated in his letter that "by taking recourse to filing the present disqualification petition, these people thought that I will buckle under and relinquish my fight for the poor. That will not happen."

12. The respondent has further stated in his letter as follows :

> "Dissent is an integral part of democracy. To stifle dissent is to sound the death knell of democracy. But the Congress culture is one of sycophancy and prostrating before 'Madam'. Anyone who does not do so is treated as an outcast, even if he is raising issues for the benefit of the public at large. My detractors fail to realize that the Congress party was earlier an institution and not an individual. .....If upholding the rights of the poor, speaking for the downtrodden, protecting the Aam Adami and the farmers and voicing one's opinion on issues of importance is an offence, I plead guilty to the same. I would continue my fight against the rich and mighty and continue to stand up for the down-trodden. At whatever cost."

13. As in spite of receipt of due notice of personal hearing, the respondent did not choose to appear, I decided to proceed *ex parte* so far as respondent was concerned. At the personal hearing the petitioner was present along with his lawyer.

14. At the hearing held on 2 September, 2008, the petitioner reiterated his submissions made in the petition and his lawyer drew my attention to several annexures thereto and contended that all the averments made in the petition and the factual statements contained in the annexures to the petition including publications made in the newspapers stand uncontradicted and should be deemed to be admitted.

15. After giving due consideration to the case made out in the petition and the materials produced by the petitioner as well as to the letter dated 7 March, 2008 of the respondent, I am of the view that the respondent has voluntarily given up his membership of the Indian National Congress to which he belonged at the time of his election to 14th Lok Sabha.

16. In several decisions of the Hon'ble Supreme Court, it has been held that the object of the Tenth Schedule of the Constitution is to discourage defection and that the provisions in the Tenth Schedule give recognition to the role of political parties in the political process. As observed by the Supreme Court in the case of Kihota Hollohon *v.* Zachilhu & Ors. (AIR 1993 SC 412) that a political party goes before the electorate with a particular programme and it sets up candidates at the election on the basis of such programme. A person who gets elected as a candidate set up by a political party is so elected on the basis of the programme of that political party. The provisions of paragraph 2(1) (a) proceed on the premise that political propriety and morality demand that if such a person, after the election, changes his affiliation and leaves the political party which had set him up as a candidate at the election, then he should give up his membership of the Legislature and go back before the electorate.

17. It has also been held by the Hon'ble Supreme Court in the case of Ravi S Naik *v.* Union of India (AIR 1994 SC 1558) that "the words "voluntarily given up his membership" are not synonymous with "resignation" and have a wider connotation. A person may voluntarily give up his membership of a political party even though he has not tendered his resignation from the membership of that party. Even in the absence of a formal resignation from membership, an inference can be drawn from the conduct of a member that he has voluntarily given up his membership of the political party to which he belongs". In its decision in G. Viswanathan *vs.* Speaker, Tamil Nadu Legislative Assembly 1996 (2) SCC 353, the Hon'ble Supreme Court was pleased to observe that "the fact of voluntarily giving up the membership of the political party may be either express or implied."

18. In my opinion, no answer has been provided by the respondent in the present case and on the available materials and for the reasons aforesaid, I have no hesitation in holding that the respondent in fact has incurred disqualification under paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule by reason of the events which took place, inter alia, on 2 December, 2007, as mentioned in the petition. In the premises, I hold that Shri Kuldeep Singh, an elected Member of Lok Sabha from Bhiwani Parliamentary Constituency of Haryana has incurred disqualification under paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule by the reason of the events of 2 December, 2007. I decide the matter accordingly.

19. Thus, the respondent stands disqualified for continuing as a member of the 14th Lok Sabha and it is declared that his seat has fallen vacant.

NEW DELHI:
the 10th September, 2008

SOMNATH CHATTERJEE,
Speaker, Lok Sabha

[No. 46/13/2008/T]

P.D.T. ACHARY, Secy.-General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054